फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकरलाल **विपक्षी : श्री भंवरलाल**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 45/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 30.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा पैतृक भूमि में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता हैं। वादी के पिता भंवरलाल कई वर्षो से लापता होने से वादी द्वारा पिता के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री शंकरलाल, पीडब्ल्यू 2 श्रीमती भूरीबाई, पीडब्ल्यू 3 श्री कालु के शपथ पत्र पेश किये। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, नकल रोचनामचा पुलिस थाना डबोक दिनांक 01.07.16 प्रदर्श 2ए, प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन अखबार में साया प्रदर्श 3 पेश किये। दस्तावेज के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 भंवरलाल के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादी द्वारा पिता के लापता होने की सूचना पुलिस थाना डबोक में दिनांक 01.07.16 को दर्ज करवाई जो प्रदर्श 2ए से स्पष्ट हैं। जबकि दस्तावेज प्रदर्श 2ए के अवलोकन से वादी के पिता को लापता हुए अभी 7 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए हैं क्योंकि जब तक 7 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते तब तक प्रतिवादी सं. 1 को मृत नहीं माना जा सकता हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि वादी ही प्रतिवादी सं. 1 का एकमात्र वारिस हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में असमर्थ रहा हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

आदेश

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:22 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 45/19 (वाद) GCMS No. : 2019/00162

उनवान

1. श्री शंकरलाल पिता भंवरलाल डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता गमाना डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.01.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:22 IST
Reason: SelfAttested